

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.03.2025

थाना इकोटेक-1 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 08.03.2025 वादी निवासी ग्राम इमलियाका द्वारा थाना इकोटेक प्रथम पर आकर तहरीर दी गई कि दिनांक 07.03.2025 की रात्रि में बाइक से आते समय रास्ते में गाँव के ही 1.चिकू पुत्र भरत सिंह 2.शेखर पुत्र धनन्जय 3.शेखर पुत्र धनन्जय 4.सन्नी पुत्र पप्पू व अन्य अज्ञात द्वारा उसकी बाइक रुकवाकर उसके साथ गाली-गलौज की गयी तथा घर जाकर जान से मारने की नियत से गोली चलायी गयी। उक्त के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना इकोटेक प्रथम पर मु0अ0सं0-34/25 धारा 126(2)/352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण— दिनांक 09.03.2025 को थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा मैनुअल इन्टेलीजेन्स व गोपनीय सूचना के माध्यम से उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त 1-चिकू पुत्र भरत सिंह 2-शेखर पुत्र धनन्जय को थाना क्षेत्र के अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1. चिकू पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2. शेखर पुत्र धनन्जय निवासी ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

- अभियुक्त चिकू--
- 1. मु0अ0सं0-34/25 धारा 126(2)/352/109 बीएनएस थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-९२/२३ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- अभियुक्त शेखर--
- 1. मु०अ०सं०-३४/२५ धारा 126(२)/३५२/१०९ बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-133/22 धारा 504/506 बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।